Afiorestation Programme in West Bengal

5569. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the .Minister of ENVIRONMENT AND FOR-ESTS be pleased to state:

(a) what amount of money was allocated and utilised for the afforestation Programme in West Bengal during the last three years and what was the share of Darjeeling; and

(b) what amount of money is allocated for the afforestation Programme in West Bengal for the year 1994-95 and what is the share of Darjeeling in it?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIR-NOMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

नहरों के किनारे सघन यूकिलिप्ट्स वृक्षा रोपण

5570. श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी नहरों में रिसाव के कारण बनी दलदली भूमि पर नहरों के किनारे यूकिलिप्टस प्रजाति के सघन वृक्षारोपण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो नहरों के किनारे दलदल बनने को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

5571. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तालुकामाल डेरी, देवगढ़ और गाडागढ़ी की नई सिंचाई परियोजनाओं और कासाल तथा कूंडे के हवाई अडडों तथा महाराष्ट्र की अन्य विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो ये परियोजनाएं कब से लंबित पड़ी हैं और इन्हें स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) (क) से (ग) मोना डेरी, देवगढ़ और गाडागढ़ तालुकों की नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुमोदन/मंजूरी देने हेतु को ई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य परियोजनाओं के बारे में ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(घ) और (ङ) पूरे आंकड़े प्राप्त होने के बाद ही परियोजनाओं का मूल्यांकन तथा उन पर कार्रवाई की जा सकती है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए परियोजना प्राधिकारियों राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखा जाता है।